न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–72/2014–15

नरेन्द्र प्रसाद **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद नरेन्द्र प्रसाद, पिता स्व0 हीरा प्रसाद, ग्राम–कटेसर, पो0+थाना–बिहटा, जिला–पटना जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 02/07(रद्द) ने अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 1411(आ0) दिनांक 18.11.2014 के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 की कंडिका–15 के अंतर्गत दिनांक 17.12.2014 को दाखिल किया है।

दिनांक 27.12.2014 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को वाद प्रतिग्रहण के बिन्दु पर सुनकर, प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय का अभिलेख मांगते हुए, अगली तिथि 18.02.2015 निर्धारित की गयी। निर्धारित तिथि 18.02.2015 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त।

अपीलकर्ता ने अपने अपील आवेदन में अंकित किया है कि उन्हें जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति सं0 02/07 कटेसर पंचायत बिहटा प्रखण्ड, जिला–पटना निर्गत है। उनकी दुकान में छतीस लाभुक सम्बद्ध हैं, जिन्होंने कभी भी खाद्यान्न वितरण नहीं करने की शिकायत नहीं की है। उनके द्वारा सम्बन्धित राशन कार्डो की छाया–प्रति वितरण के साक्ष्य स्वरूप अपील आवेदन के साथ संलग्न की गयी है। अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि लाभुकों को समय पर नियमित रूप से खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का वितरण उनके द्वारा की जाती है। कुछ लोगों द्वारा व्यक्तिगत प्रतिद्वन्दता एवं ग्रामीण राजनीति के प्रभाव में आकर निजी स्वार्थवश उनके विरूद्ध शिकायत की गयी है। उनका कथन है कि उनसे जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछा गया :–

(1) वितरण पंजी संधारित नहीं पाया जाना।

(2) किरासन तेल पौने तीन लीटर के स्थान पर ढाई लीटर हीं लाभुकों को दिया जाना एवं निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूल करना।

(3) माह मार्च से जुलाई 2014 तक P.H.H खाद्यान्न उठाव कर लाभुकों को दो माह का हीं खाद्यान्न दिया जाना।

(4) माह मार्च से जुलाई–14 तक का अन्त्योदय खाद्यान्न उठाव कर लाभुकों को एक बार भी नहीं दिया जाना।

उन्होंने अंकित किया है कि जांच की तिथि 02.09.2014 को वे खाद्यान्नों की राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए, बैंक गये थे। इसलिए दुकान बंद थी। जाँच पदाधिकारी द्वारा उनकी अनुपस्थिति में जांच की कार्रवाई की गयी एवं मनगंढत तथा निराधार प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उनका कथन है कि भुखिया ग्राम पंचायत कटेश्वर द्वारा मार्च से जुलाई तक के खाद्यान्न वितरण का प्रमाण–पत्र भी दिनांक 25.10.2014 को दिया गया। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित स्पष्टीकरण में उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप का खण्डन करते हुए, सभी तथ्य प्रस्तुत किया था, परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी ने उनके स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया एवं उनकी

अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित कर दिया गया। उन्होंने वर्णित आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर उनकी अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया है।

दिनांक 01.03.2018 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए कहा गया कि अपीलकर्ता द्वारा समर्पित वितरण सम्बन्धी साक्ष्य एवं दुकान बंद रहने सम्बन्धी साक्ष्य पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया। उनके द्वारा मात्र यह अंकित करते हुए कि समर्पित स्पष्टीकरण साक्ष्यधारित एवं तथ्यधारित नहीं रहने के कारण असंतोषजनक है एवं इसी आधार पर अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि दिनांक 02.09.2014 को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनेर द्वारा अपीलकर्ता की दुकान की जांच की गई एवं गंभीर अनियमिताएं प्रतिवेदित की गयी :—

प्रतिवेदित अनियमितताएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश –2001 के प्रावधानों का उल्लघंन है एवं बिक्रेता (अपीलकर्ता) इसके लिए दोषी है। अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाते हुए अनियमितताओं की प्रमाणिकता पर सम्यक विचारोपरान्त अनुज्ञप्ति सं0 02/07 रद्द करने का आदेश पारित किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्क के परिशीलन से न्यायालय इस निष्कष पर पहुँचता है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध प्रतिवेदित अनियमितताएँ गम्भीर प्रकृति की है एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 सम्प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर ने प्रतिवेदित अनियमितताओं को प्रमाणित पाते हुए, अपने आदेश ज्ञापांक 1411(आ0) दिनांक 18.11.2014 द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नही होती है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

26/4/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

26/4/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।